तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.1.2024	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (अम्बालाल पुत्र देवीचन्द जी, जाति–खण्डेलवाल, निवासी–सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (श्री बाबुलाल मंशाराम जी बोरणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म कृष्णा कॉर्पोरेशन, मीनों का वास, सुमेरपुर, जिला–पाली) के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3 (भजन लाल विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म धेनु श्री डेयरी प्रोडक्टस्, ग्राम– सालावास, खसरा संख्या 25/30, तहसील– लुणी, जोधपुर–342012) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.9.2022 को फर्म खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही में प्रतिवादी अम्बालाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1874 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1661/Act/2022/1663 दिनांक 30.9.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या–3 (भजन लाल विश्नोई) को नोटिस की पंजीकृत ड़ाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 03.01.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने घी (धेनु सरस) को पैकिंग [illegible] क्रय व विक्रय किया है। खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) की [illegible] धेनु श्री डेयरी प्रोडक्ट है, अतः मिथ्याछाप व [illegible] (धेनु सरस) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु [illegible] डेयरी प्रोडक्ट्स दोषी है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष[illegible]त किया जावे। ....ल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.9.2022 को समय 3.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी अम्बालाल पुत्र देवीचन्द जी, जाति– खण्डेलवाल, निवासी– सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता अम्बालाल को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) के 25 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम. एल.) में से घी (धेनु सरस ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1080/– (अक्षरे रुपये एक हजार अस्सी मात्र) प्रतिवादी अम्बालाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1874, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1874 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गयी सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति ......लगातार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

कनि. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा दिनांक 21.9.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही में प्रतिवादी अम्बालाल से खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1874 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1661/Act/2022/1663 दिनांक 30.9.2022 में खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बिल की छाया प्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी अम्बालाल की फर्म खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को फर्म कृष्णा कॉर्पोरेशन, सुमेरपुर से जरिये बिल टेक्स इनवोईस संख्या 00256 दिनांक 16.8.2022 के द्वारा क्रय किया है, जो प्रतिवादी संख्या–2 (बाबुलाल मंशाराम जी बोराणा) की फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म कृष्णा कॉर्पोरेशन, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को फर्म धेनु श्री डेयरी प्रोडक्टस, ग्राम– सालावास, खसरा संख्या 25/30, तहसील– लुणी, जोधपुर द्वारा खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) से जरिये बिल जीएसटी एनवोईस नम्बर 372 दिनांक 23.7.2022 के द्वारा क्रय किया गया है, जो खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (sub-standard) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म धेनु श्री डेयरी प्रोडक्टस, ग्राम– सालावास, खसरा संख्या 25/30, तहसील– लुणी, जोधपुर ही दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त करते हुए हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी भजन लाल विश्नोई स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) व अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (धेनु सरस ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी भजन लाल विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म धेनु श्री डेयरी प्रोडक्टस्, ग्राम– सालावास, खसरा संख्या 25/30, तहसील– लुणी, जोधपुर–342012 पर राशि रुपये 1,00,000/– (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र) की शास्ति(Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी भजन लाल विश्नोई को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.3.2024 को पेश हो। (डॉ. भास्कर बिश्नोई) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested